न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 424/24 वाद — GCMS NO :2019/00671

पूर्व प्रकरण संख्या : 139/14 वाद

श्री चेनराम पिता कन्ना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :—

1/1. श्री पुष्कर पटेल पिता स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज)

1/2. श्री नरेन्द्र डांगी पिता स्वर्गीग चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. लक्ष्मी पुत्री स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क निवासी गांव बिछड़ तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. दुर्गा पिता स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज)

......वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सज्जन बाई पत्नी श्री रामेश्वर मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रामेश्वर मेनारिया पिता स्वर्गीय श्री भूरीलाल मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री लक्ष्मीलाल पिता स्वर्गीय श्री भूरीलाल मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री ओमप्रकाश पिता स्वर्गीय श्री भूरीलाल मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

.........प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितः— श्री [illegible] अधिवक्ता वादीगण

श्री कमलेश चौबे अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 08.05.2024

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा बिछड़ी तहसील गिर्वा में आराजी नम्बर 549 मी0, 602, 603 मी0 कुल किता 3 रकबा 0.8600 हैक्टर तथा आराजी नम्बर 546, 600 कुल किता 2 रकबा 0.0250 हैक्टर भूमि स्थित है। आराजी नम्बर 549 मी, 602, 603 कुल किता 3 रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2—1/2 हिस्सा तथा आराजी नम्बर 546 व 600 में वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2,3,4 प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है तथा बिना विभाजन के किसी भी सहखातेदार को किसी भाग विशेष पर निर्माण कार्य करने व भाग विशेष को विक्रय हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा कराने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बंटवाड़ा कराने को तैयार नहीं है। वादकरण दिनांक 05.08.2014 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को निर्माण कार्य करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 19.11.2015 को जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने से तनकीयात नहीं बनाई गई।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2016 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कुराबड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांकः राजस्व/पी.डी./2019/217 दिनांक 04.04.2019 को बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित अन्य विवाद अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश क्रम संख्या 5 उदयपुर में चल रहा है जो विचारधीन होकर मूलवाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे रखे है, जिसकी प्रतियां प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की आपत्तियों का विरोध प्रकट किया। उभयपक्ष की बहस को सुनी गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested

हमारा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में जारी प्रारभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में तथा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अपील प्रस्तुत करने से उक्त दोनों माननीय न्यायालयों द्वारा अपील अस्वीकार की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आज दिनांक को पुनः उसी आधार पर आपत्ति की गई है। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पूर्व में ही इस आधार पर अस्वीकार किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आपत्तियों को अस्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री, बंटवाड़ा प्रस्ताव के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा जारी नियम, परिपत्र, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 के नियम 18 व 21 का ध्यानपूर्वक अध्ययन का तहसीलदार द्वारा जारी बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :–

1. पुष्कर पटेल पिता स्व. चेनराम डांगी, नरेन्द्र डांगी पिता स्व. चेनराम डांगी, लक्ष्मी पुत्री स्व. चेनराम डांगी, दुर्गा पुत्री स्व. चेनराम डांगी, भवंरी बाई पत्नि स्व. चेनराम डांगी सा.देह. खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
549 मी.	0.110	भु. उसर	0.26
602/4	0.3200	भू. रे. बी.	0.37
किता : 2	रकबा : 0.4300		लगान : 0.63

2. सज्जनबाई पत्नि रमेशचन्द्र मेनारिया सा. देह. खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
549/1	0.1100	भु. उसर	0.25
602/1	0.0200	भू. रे. बी.	0.02
603 मी.	0.3000	भू. रे. बी.	0.35
किता : 3	रकबा : 0.4300		लगान : 0.62

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested

3. लक्ष्मीलाल ओमप्रकाश रामेश्वरलाल पिता भूरीलाल 3/4 हि.ब. सज्जनबाई पत्नि रमेशचन्द्र 1/8 हि. मेनारिया सा.देह. पुष्कर पटेल पिता स्व. चेनराम डांगी, नरेन्द्र डांगी पिता स्व. चेनराम डांगी, लक्ष्मी पुत्री स्व. चेनराम डांगी, दुर्गा पुत्री स्व. चेनराम डांगी, भवंरी बाई पत्नि स्व. चेनराम डांगी सा.देह. 1/8 हि. खातेदार, रहन मेवाड़ आचलिक ग्रामीण बैक शाखा साकरोदा हिस्सा लक्ष्मीलाल पर :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
546 नीम्बुवाला	0.0150	भु. उसर	0.03
600 महुडीवाला	0.0100	भू. रे. बी.	0.01
किता : 2	रकबा : 0.0250		लगान : 0.04

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व मौजा बिछड़ी पटवार क्षेत्र बिछडी, भू–निरीक्षक क्षैत्र साकरोदा तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर के खाता संख्या 125 आराजी नम्बर 549 मी0, 602, 603 मी0 कुल किता 3 रकबा 0.8600 हैक्टर तथा आराजी नम्बर 546, 600 कुल किता 2 रकबा 0.0250 हैक्टर भूमि का तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार कुराबड़ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा– उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या : 424/19

अनवान : चेनराम बनाम सज्जनबाई व अन्य

निर्णय : वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 242/19 सन 2019 सीगह वाद श्री चेनराम पिता कन्ना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय (1/1) श्री पुष्कर पटेल पिता स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज) (1/2) श्री नरेन्द्र डांगी पिता स्वर्गीग चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (1/3) लक्ष्मी पुत्री स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क निवासी गांव बिछड़ तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (1/4) दुर्गा पिता स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (1/5) श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्वर्गीय चेनराम जी डांगी, उम्र वयस्क निवासी गांव बिछड़ी, तह कुराबड़, जिला उदयपुर (राज) बनाम 1. श्रीमती सज्जन बाई पत्नी श्री रामेश्वर मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) 2. श्री रामेश्वर मेनारिया पिता स्वर्गीय श्री भूरीलाल मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) 3. श्री लक्ष्मीलाल पिता स्वर्गीय श्री भूरीलाल मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) 4. श्री ओमप्रकाश पिता स्वर्गीय श्री भूरीलाल मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी निवासी गांव बिछड़ी, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाड़ा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता कमलेश चौहान की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

1. पुष्कर पटेल पिता स्व. चेनराम डांगी, नरेन्द्र डांगी पिता स्व. चेनराम डांगी, लक्ष्मी पुत्री स्व. चेनराम डांगी, दुर्गा पुत्री स्व. चेनराम डांगी, भवंरी बाई पत्नि स्व. चेनराम डांगी सा.देह. खातेदार :– :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
549 मी.	0.110	भु. उसर	0.26
602/4	0.3200	भू. रे. बी.	0.37
किता : 2	रकबा : 0.4300		लगान : 0.63

2. सज्जनबाई पत्नि रमेशचन्द्र मेनारिया सा. देह. खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
549/1	0.1100	भु. उसर	0.25
602/1	0.0200	भू. रे. बी.	0.02
603 मी.	0.3000	भू. रे. बी	0.35
किता : 3	रकबा : 0.4300		लगान : 0.62

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested

.3. लक्ष्मीलाल ओमप्रकाश रामेश्वरलाल पिता भूरीलाल 3/4 हि.ब. सज्जनबाई पत्नि रमेशचन्द्र 1/8 हि. मेनारिया सा.देह. पुष्कर पटेल पिता स्व. चेनराम डांगी, नरेन्द्र डांगी पिता स्व. चेनराम डांगी, लक्ष्मी पुत्री स्व. चेनराम डांगी, दुर्गा पुत्री स्व. चेनराम डांगी, भवंरी बाई पत्नि स्व. चेनराम डांगी सा.देह. 1/8 हि. खातेदार, रहन मेवाड़ आचलिक ग्रामीण बैक शाखा साकरोदा हिस्सा लक्ष्मीलाल पर :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
546 नीम्बुवाला	0.0150	भु. उसर	0.03
600 महुडीवाला	0.0100	भू. रे. बी.	0.01
किता : 2	रकबा : 0.0250		लगान : 0.04

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व मौजा बिछड़ी पटवार क्षैत्र बिछडी, भू–निरीक्षक क्षैत्र साकरोदा तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर के खाता संख्या 125 आराजी नम्बर 549 मी0, 602, 603 मी0 कुल किता 3 रकबा 0.8600 हैक्टर तथा आराजी नम्बर 546, 600 कुल किता 2 रकबा 0.0250 हैक्टर भूमि का तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार कुराबड़ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि...............आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....8.......... माह ....5....... सन् ....2024.............. को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested